संख्या- 54/2026/122/22-2-2024-17(158)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ईश्वर सरन पुत्र स्व0 पाटेश्वरी, निवासी जनपद-गोण्डा की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-1603/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-04.01.2024, दिनांक 16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ईश्वर सरन पुत्र स्व0 पाटेश्वरी, ग्राम-बहेरकुंआ, थाना-धानेपुर, जनपद-गोण्डा का निवासी है। बन्दी द्वारा छप्पर के नीचे दीवाल जोड़ने के विवाद को लेकर दिनांक 31.07.1987 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व बल्लम से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-615/1987 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302, 201, 506 भाग-2 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, गोण्डा के आदेश दिनांक 08.08.1991 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 25.02.2016 द्वारा निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 21.09.2023 तक अपरिहार 07 वर्ष, 11 माह, 07 दिन तथा 09 वर्ष, 10 माह, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 21.09.2023 तक 61 वर्ष, 01 माह, 23 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी सिद्धदोष बन्दी ईश्वर सरन पुत्र स्व० पाटेश्वरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ईश्वर सरन (बन्दी संख्या-308/2019) पुत्र स्व0 पाटेश्वरी, निवासी जनपद-गोण्डा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-54/2026/122(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।